संख्या-60/2019/2828/71-2-19-आर0एम0-23/2016

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के नवीन परिसर, गोमतीनगर विस्तार योजना के प्रथम चरण के निर्माण कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1300/डा0रा0म0लो0आ0सं0/वित्त एवं लेखा/2019, दिनांक 03 जुलाई, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के नवीन परिसर, गोमतीनगर विस्तार योजना के प्रथम चरण के निर्माण कार्यो की प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-21/2018 /705/71-2-2017-आर0एम0-23/2016, दिनांक 19.02.2018 द्वारा रू0 18014.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त अनुमोदित लागत के सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 7205.68 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के नवीन परिसर, गोमतीनगर विस्तार योजना के प्रथम चरण के निर्माण कार्यो की प्रायोजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित/अनुमोदित लागत रू0 19972.24 लाख + (जी0एस0टी0 नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1) प्रयोजना की प्रस्तावित लागत में जी0एस0टी0 सम्मिलित थी। समिति द्वारा अनुमोदित लागत में प्रस्तावित जी0एस0टी0 के प्रतिभार प्रतिशत को अनुमन्य नहीं करते हुए लागत आंकलित/अनुमन्य की गयी है। जी0एस0टी0 की धनराशि यथावश्यक कार्यमदों पर नियमानुसार वास्तविकता पर देय होगी। तदनुसार जी0एस0टी0 की लागत हेतु प्रायोजना का पुनरीक्षित प्रस्ताव व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
2) संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4) प्रायोजनान्तर्गत डी0जी0 सेट, ट्रान्सफार्मर एवं पैनल का प्राविधान किया गया है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर निविदा प्राप्त करे। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिडयूल ऑफ रेटस उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर से लागत में अंतर आना स्वाभाविक है। अतः निदेशक, संस्थान से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

5) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यो की लागत को प्रभाग द्वारा प्रायोजना की ऑकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को ऑकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था का होगा।

6) प्रायोजनान्तगर्त प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, संस्थान का होगा।

7) प्रायोजना की लागत का ऑकलन निदेशक, संस्थान/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। अतः प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।

8) पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गई शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9) प्रस्ताव का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

11) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

12) निदेशक, संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान की होगी।

13) प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

14) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0नि0नि0 द्वारा प्रस्तावित परियोजना के निर्माण की गुणवत्ता का थर्ड पार्टी टेक्निकल आडिट आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी/आई0आई0टी0, कानपुर/ आईआई0टी0, रूड़की/एम0एन0आई0टी0, इलाहाबाद से कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा

15) प्रश्नगत प्रायोजना यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिये जायेंगे।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

16) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक संस्थान की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

17) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3/1554/दस-2019, दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

( डा0 रजनीश दुबे )
प्रमुख सचिव।

संख्या-60/2019/2828(1)/71-2-19-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।